

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)  
मुकदमा किरम मुकदमा रज्जु दिनांक  
09/2019 धारा 91 एल.आर.एचट 04.02.2019

निर्णय दिनांक  
27.02.2019

उचनवान सरकार बनाम सरदार सिंह पुत्र चन्द्रा जाति मेघवाल निवासी सोहली  
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सोहली ने सम्वत 2075 में इस आशय की  
रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सोहली की राजकीय भूमि ख०न० 164 कुल रकबा 16.11 है०  
किरम गै०मु० जोहड़ में से 0.02 है० अतिक्रमी सरदार सिंह पुत्र चन्द्रा जाति मेघवाल  
निवासी सोहली ने अवैध रूप से मकान व चार दीवारी (आंशिक) बनाकर अवैध रूप से  
अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी  
किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा एवं नोटिस  
जवाब पेश किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी  
द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है।  
अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मकान व चार दीवारी (आंशिक) बनाकर अतिक्रमण किया  
गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस  
रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मकान व चार दीवारी  
(आंशिक) बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.79/- का  
अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.14 की 50 गुणा जुर्माना राशि 7/- बतौर शास्ति कायम  
किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा  
कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू० अ० निरीक्षक को राजकीय भूमि से  
अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद  
तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

(रूपानन्द शीपा)  
नायब तहसीलदार बुहाना (कार्यवाहक)  
जिला झुन्झुनू (राज०)

35  
19  
7/1  
Suman